

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/08/2015-अ.भा.से.(I)


भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, 2 जुलाई, 2015

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश की सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्रीमती अर्पणा यू. भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश:01) की व्यक्तिगत आधार पर उत्तर प्रदेश से आंध्र प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को तीन वर्षों अथवा अगले आदेशों जो भी पहले हो, तक के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)